

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गुण्डा एक्ट मुकदमा संख्या: 10/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामिलमें जारी हुए
03.7.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। गैरसायल रईसखान पुत्र हुसैनखान, जाति- मुसलमान, निवासी- बडा भीलवाडा, सिरोही, पुलिस थाना कोतवाली सिरोही उपस्थित। गैरसायल की ओर से वकील श्री अलतमस शेख उपस्थित। प्रकरण नियत सुनवाई तिथि दिनांक 03.7.2024 को गैरसायल ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर जुर्म/आरोप स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर सहायक अभियोजन अधिकारी व गैरसायल के वकील की बहस सुनी गई। सहायक अभियोजन अधिकारी ने इस्तगासे में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए गैरसायल आले दर्जे का जुआरी प्रवृति का है जो आम लोगों को जुआं खेलने के लिये प्रेरित कर जुआं खेलाता है। गैरसायल के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के बाद भी उक्त अपराध पर रोक नहीं लग पाई है। गैरसायल के जुआं खेलने व खेलाना से आम जन, बच्चों पर दुष्प्रभाव की शिकायत समय समय पर मिलती रहती है तथा गैरसायल के विरुद्ध कोई व्यक्ति साक्ष्य देने हेतु तैयार नहीं होता है। गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना, कोतवाली सिरोही में राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश, 1949 की धारा 13 के तहत दो मुकदमें दर्ज हुये, जिनमें गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये, जिनमें संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोषसिद्ध ठहराया है। गैरसायल गुण्डा प्रवृति का व्यक्ति है। अतः लोकहित में गैरसायल को छः माह की अवधि के लिये सिरोही जिले से निष्कासित किया जावे। जबकि गैरसायल के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि गैरसायल ने गैरसायल के विरुद्ध दर्ज धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के मुकदमों में ट्रायल से बचने के लिये लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार करने के कारण गैरसायल को न्यायालय ने दोष सिद्ध ठहराया है। गैरसायल के विरुद्ध दिनांक 05.7.2023 के बाद कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। गैरसायल ने कभी शांतिभंग नहीं की है। गैरसायल गरीब व्यक्ति है जो मजदूरी कर अपना गुजारा कर रहा है। गैरसायल वर्तमान में किसी भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। गैरसायल ने कभी भी शांति भंग नहीं की है, इसलिये गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत कार्यवाही को ड्रॉप किया जावे।</p> <p>हमने सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल रईसखान पुत्र हुसैनखान, जाति- मुसलमान, निवासी- बडा भीलवाडा, सिरोही के विरुद्ध पुलिस थाना कोतवाली सिरोही में धारा 13 राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश के तहत अपराध संख्या 382 दिनांक 29.12.2022 व 126 दिनांक 03.7.2023 को दर्ज हुये। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट के अनुसार उक्त मुकदमों में गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये एवं इन दोनों मुकदमों में संबंधित न्यायालय</p>	<p>.....लगातार</p>

Raisla
21/07/24
पुलिस
सिरोही



.....लगातार
पुलिस अधीक्षक
सिरोही-307001

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
गुण्डा एक्ट मुकदमा संख्या: 10/2024

नम्बर व
तारीख
अहकाम जो
इस हुकम
की तामिलमें
जारी हुए

द्वारा गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराया गया है। गैरसायल के विरुद्ध दर्ज उक्त अपराध संख्या 382 दिनांक 29.12.2022 व 126 दिनांक 05.7.2023 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां व इन दोनों मुकदमों में प्रस्तुत आरोप पत्रों की प्रतियां न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त अपराध संख्या 382 दिनांक 29.12.2022 व 126 दिनांक 5.7.2023 में संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक क्रमशः 4.01.2023 व 24.7.2023 के अनुसार गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराया गया है। इससे स्पष्ट है कि गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(V) में वर्णित अपराध करने का दोषी है व गुण्डा की श्रेणी में आता है। पुलिस अधीक्षक, सिरौही की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि गैरसायल जुआ संबंधी अपराधों में लिप्त रहा है। गैरसायल जुआ खेलता एवं आम जन को जुआ खेलाता है, जिससे आमजन एवं बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गैरसायल गुण्डा प्रवृत्ति का व्यक्ति है।

अतः उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक, सिरौही द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे को स्वीकार करते हुए गैरसायल रईसखान पुत्र हुसैनखान, जाति- मुसलमान, निवासी- बडा भीलवाडा, सिरौही, पुलिस थाना कोतवाली सिरौही, जिला- सिरौही को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 03.7.2024 से 02.8.2024 तक की अवधि के लिये पुलिस थाना क्षेत्र, कोतवाली सिरौही से निष्कासित किया जाता है। इस निष्कासन अवधि में गैरसायल बिना पूर्व अनुमति के थाना क्षेत्र कोतवाली सिरौहीकी सीमा में प्रवेश नहीं करेगा, गैरसायल इस निष्कासन अवधि में एक सामान्य व अच्छे नागरिक की तरह जीवन यापन करेगा तथा किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य नहीं करेगा। गैरसायल किसी प्रकार के मादक पदार्थ अपने कब्जे में नहीं रखेगा। गैरसायल इस अवधि में किसी भी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल, मेला, हाट बाजार, सिनेमाघार, सार्वजनिक पार्क आदि के आस-पास अपनी उपस्थित नहीं देगा। गैरसायल इस निष्कासन अवधि में दिनांक 15.7.2024 तथा 29.7.2024 को पुलिस थाना, पालडी एम में अपनी उपस्थिति देगा। थानाधिकारी, पुलिस थाना, पालडी एम को आदेशित किया जाता है कि उक्त दोनों तारीख में गैरसायल की उपस्थिति दर्ज कर इसकी सूचना थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली सिरौही को प्रेषित करेंगे। गैरसायल उक्त निर्देश/निबन्धन एवं शर्तों का सम्यक पालन करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 7(1) के तहत राशि रुपये 50,000/- (अक्षरे रुपये पचास हजार मात्र) का स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत करेगा एवं इसी कदर राशि रुपये 50,000/- (अक्षरे रुपये पचास हजार मात्र) की प्रतिभू/जमानत पत्र प्रस्तुत करेगा। आदेश सुनाया गया। माफिक आदेश गैरसायल ने स्वयं का बन्ध पत्र एवं प्रतिभू/जमानत पत्र प्रस्तुत किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा निर्णय की प्रति थानाधिकारी, पुलिस थाना, कोतवाली सिरौही/पालडी एम को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

(डॉ. दिनेश राघ सापेला)

ज. वि. वि. वि.
सिरौही-397001.

